

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

कलेक्टर श्री पुरूशोत्तम के निर्देश पर बिरियाखेड़ी से ज्वलनशील पदार्थ के 4 गोडाउन हटाये 1 ने स्वयं हटाया मोहन नगर रेलवे पटरी के पास से 3 ने स्वयं हटाया

ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ के व्यापारी षहर से अपने गोडाउन तत्काल हटा लें रतलाम 28 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया एसडीएम श्री अभिशोक गेहलोत के निर्देशन में बिरियाखेड़ी से ज्वलनशील पदार्थ के गोडाउन हटाये जाने की कार्यवाही के तहत बिरियाखेड़ी क्षेत्र में मोहम्मद युसुफ.मोहम्मद रफीकए शांतिलाल.बुद्धाजीए अब्दुल षकुर.नाहर षाहए बानो बी.मोहम्मद षेख के गोडान हटाये गये कार्यवाही के दौरान मुबारिक खान.षकीर खान ने अपना गोडान स्वयं हटा लिया। इसी तरह मोहन नगर क्षेत्र में गोडाउन हटाने की कार्यवाही के दौरान निसार व 2 अन्य ने अपने गोडाउन स्वयं हटा लिये।

रतलाम षहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविश्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टरए प्लास्टिकए प्लास्टिक से निर्मित सामग्रीए लकड़ीए तेलए आयलए डीजलए गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर गोदाम हटाने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ सेंटर हटाये जा रहे है। विशेषकर ऐसे कबाड़ा व्यवसायी व ज्वलनशील पदार्थों की व्यवसायी जिन्होने षासकीय भूमि कबाड़ सेन्टर व गोडाउन बनाकर कब्जा किया हुआ उन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर महोदय द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन षहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनशील पदार्थ कबाड़ सेन्टरए

प्लास्टिक प्लास्टिक से निर्मित सामग्री लकड़ी तेल आयल डीजल गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं वे शहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आज लगोगा निगम का बकाया वसूली शिविर नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 11⁷⁵⁵ लाख व जलकर 2⁷⁰ लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 28 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण जलकरण दुकान गुमटी किराया लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3²⁸822^६ व जलकर 54^६850^६ मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1^६62^६575^६ व जलकर 34^६520^६ जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3^०2^०13^६ व जलकर 63^६450^६ विनोबा नगर पानी की टंकी के पास आयोजित शिविर में संपत्तिकर 1^६85^६292^६ व जलकर 1^६19^६720^६ की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5^६ 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्युनिटी हॉल वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगर वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड वार्ड क्रमांक 5^६ 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निंग स्टार स्कूल वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर वार्ड

क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगरए वार्ड क्रमांक 14ए 15ए 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगरए वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनीए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 28 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, बाजना बस स्टैण्ड, सैलाना बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मुखर्जी नगर, कालिका माता, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, चांदनी चौक, गौशाला रोड पेयजल टंकी, ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

28 नवम्बर 98 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 28 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 28 दिसम्बर मंगलवार को 98 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

28 दिसम्बर मंगलवार को डम्पर से 29185ए टे^a कटर से 16720ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 20095 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17785ए जलकुंभी टे^a कटर 9450 व प्रायवेट टे^a कटर 5385 किलो इस तरह कुल 98620 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

6575 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 28 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 28 दिसम्बर मंगलवार तक 6575 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 6575 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 20 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 28 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 28 दिसम्बर को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर भगवानलाल जीपीओ रोड पर 1000₹ महेश अजय जीपीओ रोड पर 100.100₹ राकेश दिलीप जीपीओ रोड पर 50.50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 20 व्यक्तियों पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पी सिंह मोणं 7471144930₹ झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोणं 7471144931₹ श्री किरण चौहान मोणं 7471144932₹ श्री विनय चौहान मोणं 8770535145₹ श्री विराट मेहरा 9770326691₹ स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोणं 7000128812₹ आकाश षिन्दे मोणं 9424075393₹ 7724981736 मनोज झांझोट मोणं 6268449110₹ राकेश ललावत मोणं 7000128812 को देकर नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

2638 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 85 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 28 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2506 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 132 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 82 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 28 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण

प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 28 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर व दुकान व गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्वजसंविण्हेमन्तध्व28ण12ण2021ध्वनणपाणनिगमए रतलामण